7

(13)

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 11.11.2016 को मुजफ्फरपुर समाहरणालय, मुजफ्फरपुर के सभागार में आयोजित जिलास्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

- सर्वप्रथम जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, बिहार/माननीय मंत्री, वित्त विभाग, बिहार/माननीय कृषि मंत्री, बिहार/सभी माननीय सदस्य, बिहार विधान परिषद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा/मुख्य सचिव/पुलिस महानिदेशक/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल/पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर एवं उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत किया गया।
- मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि इस बैठक में विकसित बिहार के सात निश्चय से संबंधित योजनाओं एवं कार्यक्रम की समीक्षा, तदोपरांत लोक शिकायत निवारण अधिनियम के कियान्वयन, मद्य निषेध अभियान की प्रगति, अपराध आंकड़ों की समीक्षा, जीविका समूह द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण एवं अधिप्राप्ति की तैयारी की भी समीक्षा की जायेगी। इसके अतिरिक्त उपस्थित माननीय जन प्रतिनिधियों के द्वारा उठाये गये बिन्दुओं और मुद्दों को भी सुना जाएगा।

✓ **आर्थिक हल युवाओं को बल** :– माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय के अन्तर्गत आर्थिक हल युवाओं को बल कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र का संचालन जिला में किया जा रहा है।

सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा जानकारी दी गई कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति के पहले 15 दिनों के अन्दर Third Party के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जी0पी0एस0 के साथ आवेदकों की बेसिक जानकारी ली जाती है एवं उनका फोटोग्राफ्स भी लिया जाता है।

मुख्य सचिव द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में सम्बद्ध भेण्डर के द्वारा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं की जाए इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है।

✓ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना/मुख्यमंत्री स्वंय सहायता भत्ता एवं कुशल युवा प्रोग्राम अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों के जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र पर सत्यापन हेतु आवेदकों को समय पर ई–मेल एवं एस0एम0एस0 के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। सिड्यूलर भी अब ठीक ढंग से चलाया जा रहा है।

✓ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जानकारी गई कि ऑनलाईन आवेदन आपलोड करने हेतु सभी सहज बसुधा केन्द्र के कर्मियों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया गया है। इस हेतु जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों में इस हेतु शिविर भी लगाया जा रहा है।

✓ जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जानकारी गई कि कुशल युवा कार्यक्रम अन्तर्गत अभी तक कुल 578 आवेदन प्राप्त हुये हैं, जिसके विरूद्ध तिथि निर्धारित कर कुल 351 आवेदकों को प्रमाण पत्र के साथ बुलाया गया है एवं अभी तक कुल 77 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं ।

- **कौशल विकास केन्द्र** :– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जानकारी गई कि सभी प्रखण्डों में निर्धारित लक्ष्य 176 के विरूद्ध कुल 56 कौशल विकास केन्द्र खोलने की कार्रवाई की जा रही है जिसमें से 16 केन्द्र स्वयं के भवन में (प्रत्येक प्रखंड में एक) तथा 40 केन्द्र निजी संस्थाओं के द्वारा संचालित किया जाएगा।

प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक प्रखंड में दस–दस निजी संस्थाओं का पैनल केन्द्र संचालन हेतु तैयार किया जाना है किन्तु मुजफ्फरपुर में कुल 16 प्रखण्डों में से चार प्रखण्ड यथा बन्दरा, गायघाट, मोतीपुर एवं मुरौल

(12)

में केन्द्र संचालन हेतु किसी भी निजी संस्था द्वारा आवेदन नहीं दिया गया है। बताया गया कि ससमय आवश्यकतानुसार केन्द्रों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा।

सभी माननीय जन प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों को जानकारी दी गई कि सात निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं का बल अन्तर्गत पांच कम्पोनेंट हैं। उनमें से एक **बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड** योजना है जिसके तहत 12वीं उतीर्ण युवाओं को शिक्षा प्राप्त करने हेतु बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गयी है। दूसरा, ऐसे युवा जो रोजगार की तलाश में हैं उनके लिए **मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता** योजना चलायी गई है। तीसरा, कौशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को हिन्दी–अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है तथा उन्हें कम्प्यूटर का तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के स्तर पर सभी प्रखण्डों में **कौशल विकास केन्द्रों** का सरकारी भवनों में संचालन कराया जा रहा है। साथ ही निर्धारित मानक के अनुरूप निजी केन्द्र भी संचालित किये जाने का प्रावधान किया गया है, ताकि अधिक से अधिक छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जा सके। कौशल विकास हेतु महाराष्ट्रा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ राज्य सरकार के द्वारा एकरारनामा किया गया है। मुख्यमंत्री निश्चय स्वंय सहायता भत्ता योजना अन्तर्गत आच्छादित युवाओं के लिए संवाद कौशल, व्यवहार कौशल एवं कम्प्यूटर का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत् सभी योग्य युवाओं को तीन माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। छात्रों/छात्राएं सीधे सभी वांछित कागजातों के साथ जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में आवेदन कर सकते हैं। इस हेतु सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर को विकसित कर दिया गया है एवं उसका नियमित रूप से तकनीकी पर्यवेक्षण किया जा रहा है। धीरे–धीरे तकनीकी समस्या दूर हो रही है। मोबाईल, इंटरनेट, साईबर कैफे, सहज वसुधा केन्द्र आदि से युवा ऑनलाईन आवेदन कर रहे हैं। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है या पेन कार्ड नहीं है उनके लिए भी जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में विशेष व्यवस्था की गई है। इनके कार्यान्वयन मे व्यावहारिक रूप से आने वाली कठिनाईयों का आकलन करते हुए उसे विभागीय/स्थानीय स्तर पर दूर किया जा रहा है। आबादी के अनुसार जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र की स्थापना की गई है।

- **हर घर बिजली लगातार** :– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा जानकारी दी गई कि हर घर बिजली लगातार निश्चय अन्तर्गत मुजफ्फरपुर जिले में अभी तक कुल 6,02,224 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया है। बीलिंग के अनुरूप विद्युत सम्पर्क दिये गये कुल परिवारों की संख्या 3,39,321 है तथा सर्वेक्षण के आधार पर कुल विद्युतीकृत परिवारों का प्रतिशत 53.7 है। कतिपय पंचायतों में सर्वेक्षण का प्रतिशत 50 से कम है। वैसे पंचायतों में एस0ई0सी0सी0 सर्वेक्षण के आधार पर फिर से सर्वेक्षण का कार्य कराया जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार वंचित नहीं रहे।

  मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि विद्युत विभाग के सभी कनीय अभियंताओं से इस आशय का प्रमाण पत्र ले लिया जाए कि विद्युत सर्वेक्षण हेतु अब कोई भी परिवार शेष नहीं रह गया है। यह भी सुझाव दिया गया कि अब विद्युत सर्वेक्षण कार्य में ग्रामीण विकास विभाग के कोई भी कर्मी को नहीं लगाया जाएगा। शेष सर्वेक्षण कार्य विद्युत विभाग के कर्मियों के द्वारा ही कराया जाए। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में विद्युत सम्पर्क देने हेतु लक्षित परिवारों की कुल संख्या 63,880 के विरूद्ध मात्र 28, 801 परिवार को ही विद्युत सम्पर्क उपलब्ध कराया गया है। निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य को पूरा करते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी परिवार विद्युत सम्पर्क से वंचित नहीं रहे।

- **हर घर नल का जल** :– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को कुल 49080 परिवारों को आच्छादित करने का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1356 परिवारों को नल का जल उपलब्ध करया गया है।

✓ नगर निगम, मुजफ्फरपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल 4349 परिवारों को आच्छादित करने का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 1410 परिवारों को नल का जल उपलब्ध करया गया है। नगर पंचायत कांटी के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल 364 परिवारों को आच्छादित करने का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 278 परिवारों को नल का जल उपलब्ध करया गया है। नगर पंचायत मोतीपुर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल 335 परिवारों को आच्छादित करने का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 319 परिवारों को नल का जल उपलब्ध करया गया है। नगर पंचायत साहेबगंज के द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु कुल 315 परिवारों को आच्छादित करने का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कुल 312 परिवारों को नल का जल उपलब्ध करया गया है ।

✓ ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु पंयायती राज विभाग के द्वारा जिले में सर्वेक्षित कुल वार्डों की संख्या 5334 है, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2016–17 में आच्छादन हेतु चयनित वार्डों की संख्या 1067 है। अब तक कुल 479 वार्डों में वार्ड विकास समिति का गठन किया जा चुका है तथा 150 पंचायतों में खाता भी खोला जा चुका है। साथ ही एक पंचायत में योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया गया है तथा एक वार्ड में कार्य प्रारंभ भी किया जा चुका है। ग्राम पंचायतों में पंचायत निगरानी समिति का गठन किया जा चुका है, जिनके द्वारा खुले में शौच नहीं करने के संबंध में निगरानी की जा रही है।

मुख्य सचिव द्वारा समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा उन्हीं ग्राम पंचायत में हर घर नल का जल योजना को कार्यान्वित कराया जाएगा, जिनकी गुणवत्ता प्रभावित है अथवा उनके द्वारा पूर्व से जिन योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। शेष पंचायतों में वार्डवार योजनाओं का चयन कर ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वित कराया जाएगा। साथ ही नगर निगम एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में वार्डवार चयनित योजनाओं का कार्यान्वयन नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से कराया जाएगा ।

बताया गया कि जिन ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया है या किया जाएगा उन ग्राम पंचायतों में प्रोत्साहन के रूप में एक साथ नल का जल, पक्की गली–नलियाँ एवं हर घर बिजली सम्पर्कता (कनेक्शन) योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पर दिया जाएगा।

- **पक्की गली–नलियाँ** :– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत जिले में कुल ग्रामीण वार्डों की संख्या 5334 है, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2016–17 में आच्छादन हेतु चयनित वार्डों की संख्या 1067 है। अब तक 479 वार्डों में वार्ड विकास समिति का गठन किया जा चुका है, 150 वार्डों में खाता खोला जा चुका है तथा एक वार्ड में योजना का प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है।

✓ नगर विकास एवं आवास विभाग के अन्तर्गत हर घर तक पक्की गली नालियों हेतु नगर निगम क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2016–17 में आच्छादन हेतु सभी 49 वार्डों में से 44 वार्ड में प्राक्कलन तैयार किया जा चुका है तथा 20 योजनाओं का कार्यादेश भी निर्गत किया जा चुका है। नगर पंचायत कांटी में कुल 14 वार्डों में से वित्तीय वर्ष 2016–17 में आच्छादन हेतु कुल 12 वार्डों का चयन किया गया है। चयनित सभी वार्डों का प्राक्कलन तैयार कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। नगर पंचायत मोतीपुर में कुल 15 वार्डों में से वित्तीय वर्ष 2016–17 में आच्छादन हेतु सभी 15 वार्डों का चयन किया गया है। चयनित 10 वार्डों का प्राक्कलन तैयार कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। नगर पंचायत साहेबगंज में कुल 13 वार्डों में से वित्तीय वर्ष 2016–17 में आच्छादन हेतु 13 वार्डों का चयन किया गया है। चयनित सभी वार्डों का प्राक्कलन तैयार कर निविदा की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है ।

मुख्य सचिव द्वारा समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि ग्राम पंचायतों में वार्डवार योजनाओं के कार्यान्वयन में वार्ड के भौगोलिक संरचना के अनुरूप प्राक्कलन तैयार किया जाए। यदि उक्त योजना के अन्तर्गत दूसरे वार्ड भी आ जाते हैं तो उसे भी इस योजना

में शामिल कर लिया जाए और दानों योजनाओं को एक साथ कार्यान्वित कराया जाए। इस संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आवश्यक निदेश दिये जाने हेतु विभागीय प्रधान सचिव को निदेशित किया गया। नगर निकाय क्षेत्र में योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि पुराने मॉडल के अनुसार योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कराया जाए। सात निश्चय के अन्तर्गत दिये गये मॉडल के अनुसार ही योजनाओं को क्रियान्वित कराया जाए।

- **ग्राम टोला सम्पर्क निश्चय योजना** :– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत 100 से अधिक आबादी वाले सभी बसावटों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना है। इस हेतु ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल, पूर्वी 1, 2 एवं पश्चिमी के द्वारा कुल 4547 बसावटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें सड़क की कुल लंबाई 6413.48 किलोमीटर है। कुल 1998 ऐसे बसावट हैं जिन्हें पूर्व में पक्की सड़क से जोड़ दिया गया है, जिसकी कुल लंबाई 2428.33 किलोमीटर है। इसी प्रकार 2549 बसावटों में 3985.15 किलोमीटर में पक्की सड़क जोड़ने की योजना निर्माणाधीन है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 477 बसावटों में 755.60 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध गत माह तक 203 बसावटों में 207.62 किलोमीटर लंबाई में सड़क का निर्माण कराया गया है।
- **शौचालय निर्माण, घर का सम्मान** :– जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण के अनुसार कुल परिवारों की संख्या 9,27,173 है, जिनमें से कुल 3,83,631 परिवारों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 90,343 परिवारों में शौचालय निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिवेदित माह तक 1985 परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया गया है।

✓ ग्रामीण क्षेत्रों में 14 प्रखंडों में जीविका के द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है और 2 प्रखंडों में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। मुरौल प्रखंड में माह दिसंबर, 2016 तक शेष सभी परिवारों में शौचालय का निर्माण करा दिया जाएगा तथा अन्य प्रखंडों में अगले माह से शौचालय निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शौचालय निर्माण हेतु जीविका को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही निर्मित होने वाले सभी शौचालयों की विवरणी एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर पर अनिवार्य रूप से अपलोड करा दिया जाए।

✓ नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर निगम में सर्वेक्षण के अनुसार कुल परिवारों की संख्या 69,040 है, जिनमें से कुल 59,750 परिवारों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 4,152 परिवारों में शौचालय निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिवेदित माह तक 1,088 परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। नगर पंचायत कांटी में कुल परिवारों की संख्या 5,713 है, जिनमें से कुल 1,453 परिवारों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 602 परिवारों में शौचालय निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिवेदित माह तक 261 परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। नगर पंचायत मोतीपुर में सर्वेक्षण के अनुसार कुल परिवारों की संख्या 5,617 है, जिनमें से कुल 1,165 परिवारों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 1684 परिवारों में शौचालय निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिवेदित माह तक 602 परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। नगर पंचायत साहेबगंज में सर्वेक्षण के अनुसार कुल परिवारों की संख्या 4,455 है, जिनमें से कुल 990 परिवारों में पूर्व से शौचालय की सुविधा उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल 616 परिवारों में शौचालय निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध प्रतिवेदित माह तक 92 परिवारों में शौचालय का निर्माण कराया गया है।

- **अवसर बढ़े, आगे बढ़े :–**

✓ प्रत्येक जिला में जी.एन.एम. स्कूल की स्थापना अंतर्गत इस जिले में पूर्व से एस.के.एम.सी. एच. में एक जी.एन.एम. स्कूल कार्यरत है।

✓ प्रत्येक जिला में पैरा–मेडिकल संस्थान की स्थापना अंतर्गत इस जिले में पूर्व से एस.के.एम. सी.एच. में एक पैरा–मेडिकल संस्थान एवं तीन निजी क्षेत्र में कार्यरत है।

✓ प्रत्येक अनुमंडल में ए.एन.एम. स्कूल की स्थापना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिले में पूर्वी अनुमंडल अंतर्गत एक सरकारी एवं 13 निजी ए.एन.एम. स्कूल पूर्व से संचालित है। अनुमंडल पश्चिमी के कुढ़नी प्रखण्ड में ए.एन.एम. स्कूल की स्थापना हेतु ग्राम चढुआ के पास 1 एकड़ भूमि चिन्हित कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजा गया है।

✓ प्रत्येक अनुमंडल में आई0टी0आई की स्थापना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत अनुमंडल पूर्वी में एक सरकारी एवं 25 निजी आई.टी.आई. संस्थान संचालित है। अनुमंडल पश्चिमी में 13 निजी संस्थान पूर्व से संचालित है एवं मोतीपुर प्रखण्ड में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु ग्राम ठिकहां में 5 एकड़ भूमि चिन्हित है। भवन निर्माण हेतु निविदा प्रकाशित की जा चुकी है।

✓ प्रत्येक जिला में महिला आई0टी0आई की स्थापना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पूर्व से 1 सरकारी महिला आई.टी.आई. संस्थान संचालित है।

✓ प्रत्येक जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेकनिक की स्थापना अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत पूर्व से 1 अभियंत्रण महाविद्यालय तथा 2 पॉलिटेकनिक संचालित है।

समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर में मुख्य समस्या फैकल्टी एवं विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी है। मुख्य सचिव द्वारा निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को निदेशित किया गया कि नियमित नियुक्ति होने तक विषयवार संविदा पर विशेषज्ञ सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा अथवा संविदा के आधार पर शिक्षकों की सेवा ली जाए ।

- **बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम :–**

✓ **जिला लोक शिकायत निवारण, मुजफ्फरपुर :–** समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्रतिवेदित माह तक कुल 816 परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 460 को स्वीकृत किया गया है, 8 परिवाद हेतु वैकल्पिक सुझाव दिया गया है, 468 परिवाद निष्पादित तथा 60 कार्य दिवस से कम की अवधि के भीतर कुल 333 परिवाद निष्पादन हेतु लंबित है।

✓ **अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण, पूर्वी :–** समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, पूर्वी में प्रतिवेदित माह तक कुल 797 परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 120 को स्वीकृत किया गया है, अस्वीकृत 23 परिवाद, 360 परिवाद हेतु वैकल्पिक सुझाव दिया गया है, 503 परिवाद निष्पादित तथा 60 कार्य दिवस से कम की अवधि के भीतर कुल 294 परिवाद निष्पादन हेतु लंबित है।

✓ **अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण, पूर्वी :–** समीक्षा के क्रम में बताया गया कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय, पश्चिमी में प्रतिवेदित माह तक कुल 576 परिवाद प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 92 को स्वीकृत किया गया है, अस्वीकृत 33 परिवाद, 186 परिवाद हेतु वैकल्पिक सुझाव दिया गया है, 311 परिवाद निष्पादित तथा 60 कार्य दिवस से कम की अवधि के भीतर कुल 265 परिवाद निष्पादन हेतु लंबित है।

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि तीनों लोक शिकायत निवारण कार्यालय हेतु जमीन चिन्हित करते हुए निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यारंभ कर दिया गया है ।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवादों में से अपेक्षाकृत अधिक परिवादों के लिए वैकल्पिक सुझाव मुख्य रूप से राजस्व विभाग, उर्जा विभाग, शिक्षक नियोजन एवं गृह विभाग के मामलों में ज्यादा दिये जा रहे हैं। पृच्छा कम में यह बात प्रकाश में आया कि आर.टी.पी.एस. से संबंधित परिवाद भी बिहार लोक शिकायत निवारण के वेबसाईट पर प्राप्त हो रहे हैं।

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन को निदेश दिया गया कि बिहार लोक शिकायत निवारण के वेबसाईट को आर.टी.पी.एस. के वेबसाईट से सम्बद्ध करने हेतु सॉफ्टवेयर बनाया जाय ताकि इस प्रकार के मामले स्वतः आर.टी.पी.एस. में स्थानांतरित हो जाय। यह भी निदेश दिया गया कि शिक्षकों के नियोजन से संबंधित मामले को नियोजन इकाईयों के पास भेजा जाए।

✓ समीक्षा बैठक में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत दोनों अनुमंडल कार्यालय जिला मुख्यालय में एक ही जगह अधिष्ठापित है। इससे अनुमंडल से संबंधित सभी लोगों को अपने कार्यों हेतु मुजफ्फरपुर आना पड़ता है।

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निदेश दिया गया कि मुजफ्फरपुर पूर्वी एवं पश्चिमी अनुमंडलीय कार्यालय को लोगों के सुविधानुसार भौगोलिक संरचना के अनुरूप रेशन्लाईजेशन किया जाय। पूर्वी इलाका एवं सदर को एक साथ एवं पश्चिमी को अलग करने का प्रस्ताव लाया जाय।

✓ विद्युत विपत्र से संबंधित परिवाद के संबंध में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं एस्सेल के बीच सामंजस्य के अभाव के कारण समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जिसके कारण निर्धारित समयावधि में मामले का निष्पादन नहीं हो पाता है।

मुख्य सचिव द्वारा समीक्षोपरान्त निदेश दिया गया कि संबंधित विभाग के स्तर से निर्धारित समय–सीमा के अंदर यदि प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो जवाबदेही का निर्धारण करते हुए अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप दंड अधिरोपित किया जाय। साथ ही यह भी बताया गया कि मामले के निष्पादन हेतु यदि किसी वरीय पदाधिकारी के स्तर पर भी प्रतिवेदन लंबित पाया जाता है तो उन्हें भी दोषी की श्रेणी में रखते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मामले की सुनवाई के क्रम में संबंधित लोक प्राधिकार को सप्ताह में एक ही दिन तिथि निर्धारित कर बुलायें, ताकि कार्यालय कार्य प्रभावित न हो।

✓ लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त मामलों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में यह बात प्रकाश में आई कि अमीन की कमी के कारण भूमि विवाद एवं मापी से संबंधित मामलों का निष्पादन ससमय नहीं हो पाता है।

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निदेश दिया गया कि सभी जिलों के लिए सेवानिवृत्त अमीनों की सेवाएं ली जाय, साथ ही अमीनों की बहाली के लिए यथोचित कार्रवाई की जाय।

- **मद्य निषेध :–**

✓ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत उत्पाद विभाग के द्वारा कुल 1658 छापेमारी की गई है, 364 गिरफ्तारियां की गई है, कुल 50 व्यक्तियों के विरूद्ध उत्पाद अधिनियम के अन्तर्गत 107 सी0आर0पी0सी0 के तहत कार्रवाई की गई है, 367 अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा 88 स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है।

✓ पुलिस विभाग के द्वारा कुल 432 छापेमारी की गई है, 168 गिरफ्तारियां की गई है, 152 अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा 12 स्पीडी ट्रायल चलाया जा रहा है।

✓ गुप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय उच्च पथों पर छापेमारी के क्रम में बड़ी मात्रा में शराब लदे वाहन एवं कंटेनर जब्त किये गये हैं, जो पश्चिम बंगाल एवं हरियाणा से मंगाया जा रहा था।

मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि शराब के गोदामों पर भी विशेष नजर रखें एवं सूचना संग्रहण कर औचक छापेमारी करें। निदेश दिया गया कि थानाध्यक्षों एवं उत्पाद विभाग के अधीनस्थ पदाधिकारियों को कार्रवाई हेतु विशेष निदेश दें एवं उनकी नियमित समीक्षा करें।

- **नशामुक्ति केन्द्र का संचालन** :– शराबबंदी को प्रभावी ढंग से लागू रखने हेतु मुख्य सचिव द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को निदेश दिया गया कि सभी नशामुक्ति केन्द्र को नियमित रूप से संचालित करायी जाय। सभी नशामुक्ति केन्द्रों पर विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं आवश्यक दवाओं की सदैव उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय। जानकारी दी गई कि आदतन शराब का सेवन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा किसी न किसी प्रकार के अन्य नशीली पदार्थों का सेवन किया जा रहा होगा उस पर विशेष निगरानी रखी जाए तथा ऐसे व्यक्तियों को नशामुक्ति केन्द्र पर लाने एवं उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करायी जाय।
- पूर्व से ताड़ी के व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया। इस हेतु महाराष्ट्र में की गई व्यवस्था के अनुरूप नीरा बेचने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाए।
- **अपराध आंकड़ा** :–

✓ समीक्षा के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा बताया गया कि मुजफ्फरपुर जिले में अपराध नियंत्रण की स्थिति अच्छी है। ऐसा भी पाया जा रहा है कि किसी अन्यत्र जगहों पर हत्या कर राष्ट्रीय उच्च पथ के किनारे शव को फेंक दिया जाता है एवं उसकी पहचान नहीं हो पाती है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि शहरी क्षेत्र एवं राष्ट्रीय उच्च पथों पर नियमित रूप से पुलिस बलों के द्वारा गश्ती की व्यवस्था करायी जाए। राष्ट्रीय उच्च पथों के किनारे एवं अन्य स्थलों पर फेंके गये शवों की पहचान हेतु शवों को सुरक्षित रखने के लिए **"शव सुरक्षा गृह"** की स्थापना करायी जाए। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि इसका निर्माण एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में की जा रही है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को ससमय निर्माण कार्य हेतु समुचित पर्यवेक्षण का निदेश दिया गया।

- **जीविका समूह के माध्यम से प्रारंभिक विद्यालयों का अनुश्रवण** :–

✓ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि जीविका समूह के माध्यम से जिले के कुल 230 विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया है, जिनमें से 23 शिक्षकों का वेतन स्थगित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई हेतु नियोजन इकाईयों को पत्र लिखा गया है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा भी विद्यालय का निरीक्षण कराया जा रहा है। निरीक्षण के पश्चात विद्यालयों के संचालन में काफी सुधार हुआ है।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि जीविका समूह के दीदीयों से विद्यालय खुलने एवं बंद होने संबंधी सूचना के अतिरिक्त मध्याह्न भोजन के पश्चात विद्यालय का पठन–पाठन व्यवस्था से संबंधित सूचना की मांग की जाए एवं तद्नुसार कार्रवाई कर अपेक्षित सुधार लाया जाए।

- **अधिप्राप्ति** :–

✓ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में फसल आच्छादन का निर्धारित लक्ष्य 148000 लाख एकड़ के विरूद्ध कुल 122388.16 लाख एकड़ उपलब्धि रही। उसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2016–17 में फसल उत्पादन 457119.87 लाख मिट्रिक टन का लक्ष्य है। उत्पादन के अनुरूप वर्ष 2016–17 में अनुमानित अधिप्राप्ति हेतु 120,000.00 लाख मिट्रिक टन का लक्ष्य रखा गया है।

✓ पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों की सूची तैयार करने हेतु ऑनलाईन निबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। किसी भी सहज वसुधा केन्द्र से निबंधन एवं अन्य इंटरनेट सुविधा केन्द्रों से निबंधन की प्रक्रिया की जा सकती है। जिला में कुल 385 पैक्सों में से 15 पैक्स डिफाल्टर की श्रेणी में एवं अन्य 370 पैक्सों द्वारा निबंधन हेतु

आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। निबंधन कार्यक्रम के संबंध में समाचार पत्रों में भी सूचना प्रकाशित करा दी गई है।

✓ समीक्षा के क्रम में बताया गया कि धान अधिप्राप्ति हेतु प्रति किसान अधिकतम सीमा 100 क्विंटल से बढ़ाकर 150 क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही भूमिहीन किसानों से भी 50 क्विंटल की सीमा तक अधिप्राप्ति की जाएगी।

इस संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराये जाने का निदेश दिया गया ।

मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि एक निश्चित मात्रा से अधिक नमी युक्त धान क्रय हेतु बडे पैक्सों में ड्रायर मशीन की व्यवस्था उपलब्ध कराये जाय ताकि निर्धारित नमी से ज्यादा नमी वाले धान का क्रय न हो सके।

• **माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाये गये मुद्दे** :–:– माननीय मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा के उपरांत विभिन्न विषयों पर सभी माननीय स0वि0प0 एवं स0वि0स0 को बारी–बारी से जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखने हेतु अनुरोध किया गया।

• श्री महेश्वर प्रसाद यादव, माननीय स0वि0स0, गायघाट।

✓ कटरा, गायघाट एवं अन्य प्रखण्डों में एस्सेल कम्पनी के द्वारा नये विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया है। एल0 एण्ड टी0 को विद्युतीकरण का कार्य हेतु प्राधिकृत किया गया है, परन्तु संबंधित कंपनी के द्वारा अभी तक विद्युतीकरण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है।

✓ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तत्काल बंद हो चुका है। अतः इसके अन्तर्गत आने वाले सड़कों को किसी अन्य योजना में शामिल कर निर्माण कराया जाय।

✓ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत निर्मित सड़क की समय सीमा पाँच वर्ष के पूरा होने के पश्चात उसकी मरम्मती एवं अनुरक्षण कराया जाय।

निदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत जिन सड़कों के निर्माण का 5 वर्ष पूरा हो चुका है और मरम्मती/अनुरक्षण नीति से बाहर हो गयी है, उन सड़कों की मरम्मती हेतु सूची तैयार कर विभाग द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जाय।

• श्री सुरेन्द्र कुमार, माननीय स0वि0स0, औराई।

✓ रीगा चीनी मिल के दूषित जल को मनूषमारा नदी/लखनदेई नदी में बगैर उपचारित किये हुए छोड़ा जाता है, जिसके कारण सम्पूर्ण नदी का पानी दूषित हो चुका है। नदी जल प्रदूषित होने के कारण कृषि कार्य एवं पशुओं के उपयोग लायक नहीं रह गया है तथा जलीय जीव भी मृतप्राय हो रहे है। नदी के आसपास के लोग नदी जल के सम्पर्क में आने से चर्मरोग एवं अनेक प्रकार के बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इसी नदी का प्रदूषित पानी लखनदेई नदी में स्लूईश गेट के माध्यम से भी प्रवाहित किया जा रहा है, जिसके कारण नदी के अपतटीय भू–भाग बंजर हो रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाय।

प्रधान सचिव, गन्ना उद्योग को निदेश दिया गया कि पर्यावरण विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर इसकी जांच कराएं एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

✓ लखनदेई नदी के दोनों तटबंधों का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण किया जाय।

✓ औराई एवं कटरा प्रखण्ड में 14 एकड़ जमीन उपलब्ध है। अतः दोनों प्रखण्डों के लिए नये भवन निर्माण कराया जाय।

✓ एन.एच.–527सी. मझौली कटरा चोरौत का निर्माण कराया जाय।

✓ बागमती बांध के अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाय।

✓ बागमती बांध में निश्चित दूरी पर स्लूईस गेट का निर्माण कराया जाय।

✓ बागमती बांध का चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण कराया जाय।

✓ औराई प्रखंड के 26 पंचायतों के बचे हुए गांव का विद्युतीकरण कराया जाय। साथ ही, कटरा प्रखंड के गांवों में पॉच वर्षों से रूके विद्युतीकरण का कार्य शीघ्र कराया जाय।

• श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, माननीय स0वि0स0, मीनापुर।

✓ मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत 6 उच्च विद्यालय पूर्व से है एवं 10 मध्य विद्यालयों को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। इन सभी विद्यालयों में काफी संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं, परन्तु इन विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में वर्गकक्षों एवं शिक्षकों का अभाव है, जिसके कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से छात्र वंचित हो रहे हैं। उच्च विद्यालयों में 4–4 अतिरिक्त वर्गकक्ष, कम्प्यूटर कक्ष एवं प्रयोगशाला कक्ष का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, परन्तु अभी तक उक्त कार्य को नहीं कराया जा सका है ।

प्रधान सचिव, शिक्षा द्वारा बताया गया कि तत्काल दो–दो वर्गकक्ष निर्माण हेतु राशि सभी विद्यालयों को उपावंटित कर दी गई है ।

✓ हर घर बिजली उपलब्ध कराने हेतु एल0 एण्ड टी0 कम्पनी को कार्य आवंटन किया गया है, लेकिन उनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है और लोगों को विद्युतीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे कराया जाय।

✓ मीनापुर प्रखण्ड के नरमा पंचायत अन्तर्गत वार्ड संख्या 12 एवं 13 में लगभग 500 महादलित परिवार रह रहें हैं, लेकिन उनके घरों तक पहुंच पथ का अभाव है। स्थानीय दबंग लोगों के द्वारा रास्ता अवरूद्ध कर दिया गया है। इसे देखा जाय।

✓ मीनापुर प्रखण्ड अन्तर्गत बागमती नदी के किनारे उद्धव सिंचाई योजना के तहत कई नलकूप लगाये गये हैं। नदी का जल कम होने के कारण उक्त सिंचाई योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बोरिंग कराकर एवं विद्युत आपूर्ति करते हुए नलकूप से सम्बद्ध करा दिया जाए, ताकि किसानों को सिंचाई का लाभ मिल सके।

• श्री लालबाबू राम, माननीय स0वि0स0, सकरा।

✓ मेरे विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत मीटर रीडिंग एवं बिजली बिल की समस्या है। इसे दूर कराया जाय।

✓ ग्राम पंयायत इटहा रसुलपुर में मात्र 5–10 घरों में अभी तक शौचालय निर्माण का कार्य नहीं हो सका है, जिसके कारण अन्य परिवारों को प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल पा रहा है ।

मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि यदि किसी पंचायत में एक भी परिवार शौचालय विहीन रहता है तो उक्त पंचायत को खुले में शौच मुक्त पंचायत घोषित नहीं किया जा सकता है और प्रोत्साहन की राशि नही दी जा सकती है।

✓ मेरे विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुछ टोला सम्पर्क पथ से वंचित है, जिसे कोर नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है।

सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को सुझाव दिया गया कि कोर नेटवर्क से यदि टोले छूट गये हैं तो उसकी सूची संबंधित विभाग को दे दें ताकि छूटे हुए टोले को उसमें शामिल किया जा सके ।

• श्री (प्रो0) संजय कुमार सिंह, माननीय स0वि0प0, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र।

✓ जिन मध्य विद्यालयों को उत्क्रमित कर उच्च विद्यालय बनाया गया है, उन विद्यालयों में मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक ही अब तक कार्यरत हैं और उनके अधीन ही उच्च विद्यालय के शिक्षक भी कार्य कर रहे हैं जिसके कारण प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के बीच तारतम्य नहीं हो पाता है। उच्च विद्यालय एवं उच्चतर विद्यालय में शिक्षकों का पर्याप्त संख्या में नियोजन नहीं होने के कारण शिक्षकों की काफी कमी है और पठन–पाठन काफी प्रभावित हो रहा है। इसी प्रकार से महाविद्यालयों में भी प्राध्यापकों की काफी कमी है। विषयवार शिक्षकों का शीघ्र

नियुक्ति/नियोजन कराये जाय एवं साथ ही शिक्षकों का स्थानांतरण भी विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता के अनुरूप किया जाय।

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया।

• श्री देवेश चन्द्र ठाकुर, माननीय स0वि0प0, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र।

✓ वर्ष 2006 में शिवहर से सीतामढ़ी रोड एन.एच. तक बांध पर सोलिंग किया गया है, परंतु एन.एच. से आगे औराई की ओर जाने वाले बांध पर अभी तक सोलिंग का कार्य भी नहीं किया गया है, जिसके कारण बहुत बड़ी आबादी आवागमन की सुविधा से वंचित है। उक्त क्षेत्र के पुरूष एवं महिलाओं को आवश्यक वस्तुओं को लेकर कई किलोमीटर पैदल चलकर घर तक जाना पड़ता है। इस कार्य को जनहित में अविलंब पूर्ण कराया जाय।

✓ रून्नीसैदपुर एवं बेलसंड क्षेत्र के हजारों एकड़ भूमि में रीगा चीनी मिल का प्रदूषित पानी का जमाव होने के कारण स्थानीय किसानों का फसल क्षति का मुआवजा का भुगतान नहीं हो पाया है। मुआवजा भुगतान हेतु आपदा प्रबंधन विभाग को आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल के द्वारा जांचोपरांत प्रस्ताव भेजा गया है, परंतु अभी तक उनका मुआवजा भुगतान नहीं हो सका है।

✓ जल जमाव वाले क्षेत्र से जल निकासी हेतु जल संसाधन विभाग के द्वारा चैनल निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें किसानों के द्वारा जमीन देने से इंकार कर दिया गया है और विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई है। उक्त चैनल के निर्माण के बावजूद भी संपूर्ण क्षेत्र से जल की निकासी संभव नहीं है।

✓ शहरी क्षेत्र में आमजनों के उपयोग हेतु यूरिनल एवं सार्वजनिक शौचालय निर्माण कराया जाय।

✓ प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय एवं महाविद्यालयों में विषयवार पर्याप्त शिक्षकों का अभाव है, इसे दूर किया जाय।

• श्री दिनेश प्रसाद सिंह, माननीय स0वि0प0।

✓ निबंधन कार्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा व्यावसायिक ऋण हेतु निबंधन शुल्क के रूप में कम राशि ली जाती है, परन्तु किसानों से कृषि ऋण हेतु निबंधन शुल्क के रूप में अधिक राशि ली जाती है।

मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि विभागीय प्रावधान के अनुसार इस समस्या का तुरंत हल निकाला जाय।

✓ पिछले 2–3 वर्षों से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं हो सका है। अनुरोध किया गया कि पंचायत सरकार भवन का शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराकर पंचायत संबंधी सारे कार्य उक्त भवन से ही संचालित किया जाय। साथ ही तत्काल निर्मित पंचायत सरकार भवनों में पंचायत के कार्य को स्थानांतरित करा दिया जाय।

मुख्य सचिव को निदेश दिया गया कि जिन पंचायत सरकार भवनों का कार्य फिनिशिंग स्टेज में है, उनका शीघ्र फिनिशिंग पूर्ण कराया जाय और जिनका निर्माण कार्य चल रहा है, उसका शीघ्र निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाय। यह भी निदेश दिया गया कि विभाग के स्तर से निर्मित सभी पंचायत सरकार भवनों में कार्य संचालित करने हेतु तत्काल न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप राशि का आवंटन दिया जाय ताकि आवश्यक संसाधनों के साथ पंचायत सरकार भवन में पंचायतों का कार्य संचालित किया जा सके।

✓ कबीर अन्तेष्ठी योजना के अंतर्गत प्रत्येक बी.पी.एल. परिवार को मरणोपरांत रूपये 3000/– देने का प्रावधान है किंतु मेरे क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम पंचायतों में लगभग 25 से 30 बी.पी.एल. परिवार के लोगों का निधन होता है, किंतु इसका लाभ लगभग 5 से 10 परिवारों को ही मिल पाता है। इसे देखा जाय।

✓ शौचालय निर्माण योजना का कार्य पहले लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा संचालित कराया जाता था और वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा किया जा रहा है। अतः लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा 30 सितंबर, 2016 से पूर्व के निर्मित शौचालय निर्माण की राशि का भुगतान कराया जाय।

मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि सारे उत्तरदायित्व के साथ योजना का स्थानांतरण लोक स्वास्थ्य प्रमंडल से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में किया गया है। अतः पूर्व के निर्मित शौचालय निर्माण की प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से ही किया जाएगा।

- **श्रीमती बेबी कुमारी, माननीय स0वि0स0, बोचहा।**

✓ बोचहां विधान सभा अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित लाभुकों के पेंशन का भुगतान नहीं किया गया है। इस हेतु मुशहरी प्रखंड कार्यालय में सामाजिक कार्यकर्ता 4 दिनों से आमरण अनशन पर हैं।

मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत योग्य लाभुकों का आर.टी.जी.एस. के द्वारा बैंक खाता में पेंशन का भुगतान किया जा रहा है और एक सप्ताह के अंदर सभी लाभुकों के खाते में भुगतान कर दिया जाएगा।

✓ मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत 30 बेड का अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया गया है, लेकिन अब तक उद्घाटन नहीं हो सका है, जिसके कारण योजनाओं का लाभ आमजनों को नहीं मिल पा रहा है।

✓ एस्सेल विद्युत वितरण लि0 का विद्युतीकरण का कार्य बिल्कुल ही असंतोषप्रद है। उक्त कंपनी को जिला से मुक्त किया जाय।

✓ मुसहरी प्रखंड के सरकारी पदाधिकारी भ्रष्टचार में लिप्त हैं। क्षेत्र में विकास कार्य ठप्प है। प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय एवं थाना में भी व्याप्त भ्रष्टाचार की जॉच उच्च स्तरीय टीम से करायी जाय।

✓ मुजफ्फरपुर–पुसा पथ को दो लेन कराया जाय।

✓ तिरहुत नहर पर बने सभी पुल जर्जर स्थिति में है, उक्त सभी पुलों का जिर्णोद्धार कराया जाय।

✓ बूढ़ी गंडक नदी के दोनों तटबंध क्षतिग्रस्त हैं, तटबंध को सुदृढ़ करते हुए इस पर पक्की सड़क बनायी जाय।

✓ मुसहरी प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का शिलान्यास किया जा चुका है, परंतु अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। उक्त केन्द्र पर 30 बिस्तर वाला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनवाया जाय।

✓ बोचहा एवं मुसहरी प्रखंड कार्यालय परिसर में बने सरकारी आवासों में पदाधिकारी नहीं रहते हैं। इस व्यवस्था को ठीक कराया जाय।

✓ मुजफ्फरपुर नगर क्षेत्र सरैयागंज ठावर से जीरो माईल चौक तक जाम की समस्या का स्थायी निदान निकाला जाय।

- **श्री अशोक कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0, पारू।**

✓ बखरी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पहले एक डॉक्टर एवं 2 नर्स कार्यरत थे और वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एकदम बंद पड़ा हुआ है। उनके द्वारा उक्त केन्द्र को शीघ्र चालू कराया जाय।

(2)

- **श्री नंद कुमार राय, माननीय स0वि0स0, बरूराज।**
  - ✓ पूर्व में मुजफ्फरपुर पश्चिमी अनुमंडल निर्माण हेतु मोतीपुर प्रखंड में स्थल चिन्हित कर कार्रवाई भी शुरू हुई थी, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गयी है।
  - ✓ नाबार्ड संपोषित योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण हेतु अन्य प्रखंडों में सड़क सर्वे का कार्य किया गया है, लेकिन मोतीपुर प्रखंड में सड़क का सर्वे अभी तक नहीं किया गया है। इसे करवाकर सड़क बनवाया जाय।
  - ✓ बरूराज विधान सभा में सभी राजकीय नलकूप बंद पड़ा हुआ है, जिससे पटवन में किसानों को असुविधा हो रही है, इसे चालू कराया जाय।
  - ✓ बगही चौक से बलदेव महतो के घर होते हुए नवलपुर गांव तक का सड़क निर्माण कराया जाय।
  - ✓ मुख्यमंत्री सम्पर्क सड़क योजना अंतर्गत साहेबगंज रोड में हरनाही ट्रांसफॉर्मर से मुख्य नहर होते हुए हरनाही गांव तक सड़क एवं एन.एच.–28 रतनपुरा लोहार के घर से हरौना चौक तक सड़क बनवाया जाय।
- **श्री केदार प्रसाद गुप्ता, माननीय स0वि0स0, कुढ़नी।**
  - ✓ कुढ़नी प्रखंड में कई पोखरों में अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया गया है और छठ पर्व के अवसर पर अंचलाधिकारी, कुढ़नी के द्वारा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था एवं बैरिकेडिंग का कार्य नहीं कराने के कारण 2 बच्चे की पानी में डूबने से मृत्यु हो गयी है। इस पर कार्रवाई किया जाय।
  - ✓ कुढ़नी प्रखंड में अंचलाधिकारी की मिली भगत से मिट्टी भराई कार्य में लगे ठीकेदारों द्वारा अवैध तरीके से मिट्टी काटकर सरकारी जमीन को नदी नाला में तब्दील कर दिया गया है। इस पर उचित कार्रवाई किया जाय।
  - ✓ कुढ़नी प्रखंड में 39 पंचायत हैं और बड़ा प्रखंड होने के कारण सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक नहीं पहुंच पाता है। इसे देखा जाय।
  - ✓ मनियारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का अपना भवन नहीं है। यह दूसरे भवन में चल रहा है। इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर समुचित चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण प्रसव आदि कार्य सुरक्षित ढंग से नहीं कराया जा रहा है। उक्त केन्द्र में समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया। साथ ही स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सीय लापरवाही के कारण हुई मौत के संबंध में संबंधित चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने का भी अनुरोध किया गया।
- **श्री अशोक कुमार चौधरी, माननीय स0वि0स0, कांटी।**
  - ✓ कांटी विधान सभा अंतर्गत भूमिहीनों को बासगीत पर्चा दिया गया है परन्तु अभी तक दखल–कब्जा नहीं दिलाया गया है। भूदान के जमीनों को भी भूमिहीनों में बांटा गया है, परंतु उक्त जमीन अभी तक दबंग लोगों के कब्जे में है। इस पर कार्रवाई किया जाय।
  - ✓ विद्यालय विकास मद की राशि उपलब्ध रहने के बावजूद उसे खर्च नहीं किया जा रहा है और विद्यालय में वर्गकक्ष एवं बेंच–डेस्क के अभाव में बच्चों को जमीन पर बैठाया जाता है। साथ ही बहुत से विद्यालयों में शौचालय की सुविधा नहीं है इस पर समुचित ध्यान दिया जाय।

- **श्री सुरेश कुमार शर्मा, माननीय स0वि0स0, मुजफ्फरपुर।**
  - ✓ शुद्ध पेयजल आपूर्ति योजना अंतर्गत लगभग एक अरब की राशि पूर्व के वर्षों में पाईप लाईन के विस्तारीकरण एवं नवीनीकरण की योजना निगम तथा सरकार द्वारा समन्वय नहीं होने के कारण पूरा नहीं हो सका है, इसे देखा जाय।
  - ✓ सड़क गली नली योजना अंतर्गत निगम द्वारा सभी वार्डों के सभी गली तथा नली योजना का सर्वेक्षण कर सूची बनायी गयी परंतु कार्य चयन में निगम द्वारा भेदभाव बरता जा रहा है।
  - ✓ स्वच्छता अभियान अंतर्गत निगम द्वारा सफाई कार्य तथा दवा का छिड़काव ठीक ढंग से नहीं कराया जा रहा है, गंदगी के कारण यहाँ डेंगू, चिकेनगुनिया, इन्सेफ्लाइटीस आदि गंभीर बीमारी यहाँ के लोगों को हो रहा है। इसे ठीक ढंग से कराने का निदेश दिया जाय।
  - ✓ प्रकाश व्यवस्था के अंतर्गत शहर के सभी वार्डों के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्ट्रीट लाईट लगाने की व्यवस्था की जानी है। यहाँ लगभग 3000 स्ट्रीट लाईट की खरीदारी की गयी है जो गोदामों की शोभा बनी हुई है। इसे देखा जाय।
  - ✓ नगर निगम की अपनी भूमि जो बेकार पड़ी हुई है तथा अतिक्रमित है उसे अतिक्रमण मुक्त कराते हुए उसमें दुकानों का निर्माण कराकर सड़क किनारे दुकान लगाने वाले लोगों को आवंटित किया जाय। इससे सड़क पर जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।
  - ✓ सबके लिए आवास योजना की गति मंद है, राशि उपलब्ध रहने के बावजूद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसे देखा जाय।
  - ✓ नगर निगम क्षेत्र में पूर्व से कुछ तालाब, पोखर, मन बने हुए है तथा ये अतिक्रमित हैं। इनका जीर्णोद्धार कराया जाय। साथ ही बंद पड़े कुंए की उड़ाही भी करवाया जाय जिससे जल स्तर की समस्या का समाधान हो सके।
  - ✓ मुजफ्फरपुर शहर में अनेक प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में वर्ग कक्षा का अभाव है। बच्चों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं है। बहुत विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। मध्याह्न भोजन में भी शिकायत मिल रही है। इन सभी कार्यों को सुचारू ढंग से ठीक कराया जाय।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

13/12/16

प्रधान सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-45/2016 .....676.../दिनांक-23.12.16.

प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार, पटना / मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी सचिव / प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहूत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / पुलिस महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर / पुलिस उप महानिरीक्षक, मुजफ्फरपुर / जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/16

(डॉ0 राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

E:\KAMLESH\habbu.doc

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-45/2016 .....675...../दिनांक-23/12/16

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार / पुलिस महानिदेशक, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/16

(डॉ0 राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-45/2016 .....675...../दिनांक-23/12/16

प्रतिलिपि-विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

15/12/16

(डॉ0 राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-45/2016 .....675...../दिनांक-23/12/16

प्रतिलिपि-सभी माननीय प्रभारी मंत्रीगण एवं जिला के निवासी सभी माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/12/16

(डॉ0 राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-45/2016 .....675...../दिनांक-23/12/16

प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/16

(डॉ0 राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-45/2016 .....675...../दिनांक-23/12/16

प्रतिलिपि-मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव (श्री अतीश चन्द्रा एवं श्री मनीष कुमार वर्मा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/12/16

(डॉ0 राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-3/सी0 एस0 एम0/विविध-45/2016 .....675...../दिनांक-23/12/16

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/12/16

(डॉ0 राजीव कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी